APP-A

Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट– हुरडा

श्रीमति मनभर पुत्री रामा बलाई बनाम पूरणमल पिता नारायण भाम्बी
निवासी– हुरडा निवासी– घण्टालों का खेडा

प्रकरण संख्या– 41 / 2017

किस्म मुकदमा–ईजराय प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट में पेश हुई। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या' 48 / 2010 निर्णय दिनांक 27.06.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरडा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा ने अपने पत्र राजस्व / 2018 / 889 दिनांक 26.04.2018 से अवगत कराया है कि डिक्री में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में माननीय ए.डी.जे. न्यायालय गुलाबपुरा में प्रकरण संख्या– 06 / 2010 विचाराधीन होने से डिक्री पालना किया जाना सम्भव नही है । ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 की पालना किया जाना सम्भव नही होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय खारिज किया जाना उचित समझता है । प्रकरण में माननीय अपील न्यायालय द्वारा जो अन्तिम निर्णय पारित किया जायेगा , जिसकी पालना हेतु पक्षकार स्वतन्त्र होंगें । तदनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करे आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को खुली लोक अदालत हुरडा में सुनाया गया ।	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केम्प

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official